

सेवा में

श्री सुधीर कुमार अवस्थी पुत्र श्री राजेश कुमार अवस्थी
अनुक्रमांक-463170258
निवासी-ग्राम साकेत नगर पो0 थाना लालगंज
जनपद रायबरेली 229206

Part 5

विषय-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जे. अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुसादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूदनार्थ एवं त्तरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुसादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये उग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री रूप नारायण सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह
अनुक्रमांक-463160915
निवासी-ग्राम बैरहना पो0 दरिगापुर थाना डलमउ
जनपद रायबरेली 229001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जे. अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0पु0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् वसिष्ठ प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रतिर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11|(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री युवराज सिंह कुरील पुत्र स्व0 हरिप्रसाद कुरील
अनुक्रमांक-462380155
निवासी- म0न0 250/76 याहियागंज भीमनगर थाना चौक
जनपद लखनऊ 226004

विषय-


उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0न0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी, सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चल जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नान्नी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत वर्गों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0न0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान क प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-पुलिस आयुक्त, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्तरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है; कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अग्रेतर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0भा0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री ब्रजभूषण वर्मा श्री उदन प्रसाद

अनुक्रमांक-437050605

निवासी-ग्राम लाहपुरवा(शिवरी)पो0 भदेवरा थाना हरियांवा

जनपद हरदोई 241001

विषय-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी, भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग एंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्राक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तागत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति के दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रतिर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रतिर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री देव प्रकाश यादव पुत्र श्री चन्द्र पाल यादव
अनुक्रमांक-463110397
निवासी-ग्राम धूरी पो0 मैथुआ थाना जगतपुर
जनपद रायबरेली 229001

विषय -

उपनिरीक्षक न०0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०न०0पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०न०0पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नती नयी रिक्ति) एवं 226 अनमर पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०न०0पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०न०0पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न०0पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनाएं एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई निम्नता/प्रतिकूलता पई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किये जायें तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री आगम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री रामरूप वर्मा

अनुक्रमांक-463110357

निवासी-म0न0 1143 रामजीपुरम निकट बस्तेपुर पो0 मलिक मउआइमा

थाना कोतवाली जनपद रायबरेली 229001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त अनुपस्थित अभिलेखों पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहन्ने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नॉटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक अपरध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्तक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री शिवभोला पुत्र श्री प्यारेलाल
अनुक्रमांक-462380422
निवासी- ग्राम फतेहनगर पो0 काकराबाद थाना मलिहाबाद
जनपद लखनऊ 227111


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11376/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मनी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-पुलिस आयुक्त, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में

श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री संतकुमार
अनुक्रमांक-462380188
निवासी- ग्राम मलहा पो0 व थान काकोरी
जनपद लखनऊ 227107


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीडी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बांसेक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 का साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख को समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्नीस न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-पुलिस आयुक्त, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री गिरिन्द्रपाल

अनुक्रमांक-437010478

निवासी-ग्राम झबरापुरवा पौं खजुरहरा थाना सुरसा

जनपद हरदोई 241001


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण डीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभर पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का ऋष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रवली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रवली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्ब प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अप्प्रेम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रवली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टार-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

संदा में

श्री प्रेम पुत्र श्री उमाशंकर
अनुक्रमांक-463170444
निवासी-ग्राम व पो0 याहो थाना खीरो
जनपद रायबरेली 229209

दिष्य:-


उपनिरीक्षक नः0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य ने मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नसी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नः0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस रडवांस, पहन्ने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये, यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री जतिन्द्र कुमार पुत्र श्री रामबहादुर

अनुक्रमांक-463130435

निवासी-ग्राम टेकहा पो0 कोन्सा थाना गुरुबक्शागंज

जनपद रायबरेली 229121

विषय -


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिटिज अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करके तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री शीलेश प्रताप पुत्र विजय कुमार

अनुक्रमांक-437030010

निवासी-ग्राम हुसैनपुर सहोरा पो0 शकतपुर थाना लोनार

जनपद हरदोई 241001


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभरते पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडी:शियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्थ प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रैत कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ स उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रैत कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद
अनुक्रमांक-449100493
निवासी-ग्राम बलदेव नगर पो0 गंगागंज थाना अटरिया
जनपद सीतापुर 261303

विषय-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा, नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रतार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतार कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्रीकान्त पुत्र श्री ईश्वरदीन
अनुक्रमिक-449180164
निवासी-ग्राम सलेमपुर पो0 नवाबगंज थाना अजगैर
जनपद उन्नाव 209859

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 का साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे,

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रतिर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रतिर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री जगगोलाल

अनुक्रमांक-437030134

निवासी-म0न0 137 पुराना बोर्डिंग हाउस निकट सदर पुलिस चौकी

थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई 241001

विषय:-


उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0न0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण डीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0न0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन प्रणाली उ0पु0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बॉर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित करकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपरध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली सलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्ना/प्रतिकूलता आई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

सलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, वतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11|(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री राम पाल चौधरी
अनुक्रमांक-463150160
निवासी-ग्राम पूरेमढा पो0 कोरिहर थाना गुरुबक्शागंज
जनपद रायबरेली 229130

विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रवली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रवली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जायें तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रवली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0भा0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सका में

श्री विशाल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता
अनुक्रमांक-449030195
निवासी-चीनी मिल रोड सम्पूर्णानगर थाना सम्पूर्णानगर
जनपद लखीमपुर खीरी 262904

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुरखीरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण न सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचना एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई गिनत/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11|(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विक्रान्त सिंह कटारिया पुत्र श्री रामफल सिंह

अनुक्रमांक-439100312

निवासी-ग्राम-हीमपुर प्रथ्या पों0 अलाउद्दीनपुर थाना शिवालाकला

जनपद-बिजनौर 246734

विषय-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, जोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रवली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रवली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रवली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री तिरेंद्र कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह

अनुक्रमांक-439090070

निवासी-ग्राम-रामपुर किशना पो0 व थाना स्योहारा

जनपद-बिजनौर 246746

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पी.ए.सी. सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग: पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उच्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया: 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेज्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दायित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगमन प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री सुधीर यादव पुत्र श्री जसवन्त सिंह यादव

अनुक्रमांक-4230255

निवासी-ग्राम-रामनगर खगूवाला पो0 व थाना ठाकुरद्वारा

जनपद-मुरादाबाद 244601

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कच्चे आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तागत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशः निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री रूम सिंह

अनुक्रमांक-424210685

निवासी-ग्राम-मोरा मुस्तकम पो0 काजीपुरा थाना सिविल लाइन्स

जनपद-मुरादाबाद 244001

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलेख कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएस्सी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में अगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परियाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने अगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट दायिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

7.3.20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिश निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गॉमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अमित कुमार पुत्र श्री मुरे सिंह

अनुक्रमांक-439040032

निवासी-ग्राम-दौलतपुर पो0 चन्दक थाना मण्डावर

जनपद-बिजनौर 246721

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य मे मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्दर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्रि) एवं 226 अन्भरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 13-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशः निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री अतर सिंह

अनुक्रमांक-424300219

निवासी-ग्राम-सद्दीकनगर पो0 छितौनी थाना शाहबाद

जनपद-रामपुर 244411

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित अभियोग पजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन्तके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रांतीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रामपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री सचिन कुमार पुत्र श्री छतरपाल सिंह

अनुक्रमांक-439030443

निवासी-ग्राम-पुरैला पो0 बास्ता थाना चोंदपुर

जनपद-बिजनौर 246725

विषय-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिटिल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अग्ने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री राहुल यादव पुत्र श्री राजेन्द्र यादव

अनुक्रमांक-424230369

निवासी-ग्राम-सरकड़ा परमपुर पो0 रतूपुरा थाना ठाकुरद्वारा

जनपद-मुरादाबाद 244601

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा गरित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर जी.ए.सी. सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पी.आर.पी.बी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के मानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उक्त हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता आई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री विवेक कुमार पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह

अनुक्रमांक-424280146

निवासी-ग्राम-हरिपुर मिलक पो0 सैदपुर गंगू थाना असमौली

जनपद-सम्मल 244304

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे; इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टैंडपेन्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्मथी न्यायालय में दोजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सम्मल को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रसि का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आनंद प्रशिक्षण संस्थान में न किये जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री अतर सिंह

अनुक्रमांक-424260151

निवासी-ग्राम-ताहरपुर सिमरौआ पो0 सरथल थाना बनियाठेर

जनपद-सम्मल 202414


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनन्य पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परियाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सम्मल को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशः निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री अनुज कुमार पुत्र श्री नौबहार सिंह

अनुक्रमांक-439050367

निवासी-ग्राम-व पो0 खटाई थाना नूरपुर

जनपद-बिजनौर 246734

विषय:-

उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0न0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (665 उ0नि0न0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0पु0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में-

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवॉंस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के मानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0भा0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री हरेन्द्र कुमार पुत्र श्री संसार सिंह

अनुक्रमांक-474110325

निवासी-ग्राम व पो0 व थाना गढीपुख्ता

जनपद शामली 247776

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्नीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तागत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री पतंजली पुत्र श्री रामदास सैनी

अनुक्रमांक-474190463

निवासी-ग्राम व पो0 बघरा थाना तितावी

जनपद मुजफ्फरनगर 251306

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवॉंस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत करके दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आनंद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश

अनुक्रमांक-474120110

निवासी-ग्राम व पो0 राजपुर-छाजपुर थाना बुढाना

जनपद मुजफ्फरनगर 247775

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलेक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में:

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में नानजुडीशियल न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अमित कुमार पुत्र श्री सुखपाल सिंह

अनुक्रमांक-474120434

निवासी-ग्राम व पो0 खन्दरावली थाना कैराना

जनपद शामली 247775

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है; आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


7.3.20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है; कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विपिन कुमार पुत्र श्री ओम सिंह

अनुक्रमांक-474110267

निवासी-ग्राम कनियान पो0 एलम थाना कांघला

जनपद शामली 247771

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में:

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

7.3.20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पांच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री कुलदीप चौहान पुत्र श्री सन्तरपाल सिंह

अनुक्रमांक-474140345

निवासी-ग्राम शेखूपुरा पो0 कन्डेला थाना आदर्शमण्डी शामली

जनपद शामली 247774

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएस सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में अगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अद्ययनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने अगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

7.3.20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उरुका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता आई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11/(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अंजुल कुमार पुत्र श्री भीम सिंह

अनुक्रमांक-474260195

निवासी-ग्राम व पो0 झबीरन थाना सरसावा

जनपद सहारनपुर 247232

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा गरित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री तेजपाल सिंह

अनुक्रमांक-474110326

निवासी-ग्राम व पो0 कुडाना कला पट्टी खुन्नी थाना कोतवाली शामली

जनपद शामली 247776

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग चंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्ग्रे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामपाल सिंह

अनुक्रमांक-474150400

निवासी-ग्राम व पो0 नाला थाना कान्चला

जनपद शामली 247771

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नैटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश:

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तागत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री ललित कुमार पुत्र श्री सहेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक-474120439

निवासी-ग्राम साल्हाखेड़ी पो0 अलीपुर खेड़ी थाना तितावी

जनपद मुजफ्फरनगर 247001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीडी-ए-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्नीष न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री रामकिशुन पुत्र श्री रामरतन यादव

अनुक्रमांक-478020935

निवासी-ग्राम नरईपुर पो0 रंगडीह थाना सरायमीर

जनपद आजमगढ़ पिन 276305

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में:

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अखिलेश यादव पुत्र श्री रामाश्रय यादव

अनुक्रमांक-478011228

निवासी-ग्राम मझारी पो0 खलिया समेरी थाना तहबरपुर

जनपद आजमगढ़ पिन 276206

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टार-1, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0ना0पु0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार यादव पुत्र श्री रामनगीना यादव

अनुक्रमांक-478030439

निवासी-ग्राम रददोपुर कालीचौरा पो0 सदर म0न0 188 थाना कोतवाली

जनपद आजमगढ़ पिन 276001

विषय-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री बिन्देश यादव पुत्र श्री साहब राज यादव

अनुक्रमांक-478040199

निवासी-ग्राम व पो0 इरनी थाना बरदह

जनपद आजमगढ़ पिन 276303

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टार-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विवेक कुमार यादव पुत्र हरेराम यादव

अनुक्रमांक-471150182

निवासी-ग्राम इच्छाचौबे का पुरा पो0 व थाना नरही

जनपद बलिया पिन 277502

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में सम्मानीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टार-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री जवाहर यादव

अनुक्रमांक-47130484

निवासी-ग्राम खुशामदपुर पो0 व थाना मुहम्मदाबाद गोहना

जनपद मऊ पिन 276403

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग संजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री रमेश यादव पुत्र श्रीराम यादव

अनुक्रमांक-478050037

निवासी-ग्राम भुवाना खुर्द पो0 विशुनपुरा थाना जीयनपुर

जनपद आजमगढ़ पिन 276405

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टैडपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अग्रेतर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिश निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री चन्द्रन कुमार यादव पुत्र श्री अमला सिंह यादव

अनुक्रमांक-47110256

निवासी-ग्राम व पो0 कोटवानरायनपुर थाना नरही

जनपद बलिया पिन 277501

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्यिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विनोद कुमार विमल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद

अनुक्रमांक-47160041

निवासी-ग्राम व पो0 चकरा थाना हलधरपुर

जनपद मऊ पिन 221705

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुसादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुसादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री आलोक रंजन पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद

अनुक्रमांक-478030033

निवासी-ग्राम असौसा पो0 पवनीकला थाना मेहनगर

जनपद आजमगढ़ पिन 276204

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सपेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 -84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मातृनीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री शेषनाथ भारती पुत्र श्री निरंजन राम
अनुक्रमांक-478010696
निवासी-ग्राम कुन्जी पो0 पुनर्जी थाना जहानागंज
जनपद आजमगढ़ पिन 276131

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सपेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रगति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री जयराम पुत्र स्व0 रामनंदन

अनुक्रमांक-478010903

निवासी-ग्राम घरनीपुर बिसिया पो0 व थाना गंभीरपुर

जनपद आजमगढ़ पिन 276302

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रारूप का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री शशिकुमार पुत्र श्री रामरूप राम

अनुक्रमांक-47140702

निवासी-ग्राम हड़सर पो0 ढोरीडीह थाना सिकन्दरपुर

जनपद बलिया पिन 221717

विषय-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्राणि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पौच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री बृजेश कुमार सरोज पुत्र श्यामनरान

अनुक्रमांक-478070081

निवासी-ग्राम व पो0 गोपालपुर थाना मेहनगर

जनपद आजमगढ़ पिन 276204


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अजय कुमार अंचल पुत्र श्री बालचन्द्र राय

अनुक्रमांक-47160443

निवासी-ग्राम पतीला पो0 ललितपुर लुदुही थाना कोपागंज

जनपद मऊ पिन 275307

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रामकुमार राम

अनुक्रमांक-478010845

निवासी-म0न0 72 ग्राम मनिकपुर पो0 कन्धरापुर थाना तहबरपुर

जनपद आजमगढ़ पिन 276135

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुसादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुसादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री आकाश मलिक पुत्र श्री कालूराम
अनुक्रमांक-474140297
निवासी-ग्राम व पो0 पीनना थाना कोतवाली मु0नगर
जनपद मुजफ्फरनगर 251001


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्रि) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् दैनिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेब्लेट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइकेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रतिक्रिया का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रेतर दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अमित कुमार पुत्र श्री रणवीर
अनुक्रमांक-474190405
निवासी-ग्राम सदरूददीननगर पो0 सिसौली थाना भँवराकला
जनपद मुजफ्फरनगर 251319

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में अग्रगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सातों काल अपने अग्रगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के मानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री अमित मलिक पुत्र श्री वीरपाल सिंह

अनुक्रमांक-472140479

निवासी- मकान न0 566 ग्राम व पो0 कुड़ाना(खुदी) थाना शामली

जनपद शामली 247776

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री अमित कुमार पुत्र श्री पवन सिंह

अनुक्रमांक-474130261

निवासी-ग्राम नूर नगर पो0 व थाना पुरकाजी

जनपद मुजफ्फरनगर 251327

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी, तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के टस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री सचिन कुमार पुत्र श्री चन्द्रहास
अनुक्रमांक-474101718
निवासी-ग्राम चौन्दाहेड़ी पो0 पुरमाफी थाना झिंझाना
जनपद शामली 247773


विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000-मेस एडवांस, पहन्ने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपरध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अंकुर मलिक पुत्र श्री कृष्णपाल मलिक
अनुक्रमांक-474110433
निवासी-ग्राम व पो0 बहावडी थाना शामली
जनपद शामली 247776

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अदगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तागत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अदगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0ना0पु0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री राकेश कुमार मिश्र पुत्र श्री शिव शंकर मिश्र

अनुक्रमांक-465040154

निवासी-ग्राम सुनहरा पो0 परसा गोण्डरी थाना कर्नलगंज

जनपद गोण्डा 271126

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडदास, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोण्डा परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता आई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)